

(३)

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन शाखा)

अधिघोषणा

एस०ओ० - ३।२९ / रा०

पटना, दिनांक - ३।१।१२ - १३

चूंकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-लक्ष्मण नगर, थाना-आदापुर, थाना न०-१७०, जिला पूर्वी चम्पारण में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् इण्डो-नेपाल बोर्डर पर सड़क निर्माण के लिए अर्जित ६६९.२८ एकड़ जमीन के लिये सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण अपेक्षित है, इसलिए इनके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि ३५र्खूक्त प्रयोजन के लिए पूर्वोक्त ग्राम-लक्ष्मण नगर, थाना न०-१७० के भीतर कमोवेश बीघा X कट्ठा X धूर की जो मानक माप स ६६९.२८ एकड़ के बराबर होता है, एक भूखंड अपेक्षित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

खेसरा सूची :— पूर्ण खेसरा—144, 380

अंश खेसरा—34, 33, 35, 36, 139, 140, 141, 143, 153, 145, 154, 155, 156, 157, 158, 161, 162, 163, 164, 165, 331, 330, 332, 333, 334, 337, 336, 341, 340, 377, 404, 403, 378, 402, 379, 381, 383, 384, 385, 382, 386, 387, 388, 399, 395, 389

चौहदी:- स०— मौजा—धरम नगर—166

द०— मौजा—रघुनाथपुर न०—171

प०— खेसरा न०—36, 35, 139, 140, 145, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 161, 163, 164, 165, 330, 333, 337, 340, 377, 404, 403, 402, 379, 383, 384, 385, 386, 399, 395, 389

प०— खेसरा न०—33, 31, 139, 141, 143, 156, 157, 158, 162, 163, 331, 332, 334, 336, 341, 377, 378, 367, 381, 382, 387, 388

भूमि या भूमि के किसी भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के वे भाग, जिन्हे जिस कार्य के लिये भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिये खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो, ले लिये जायेगे।

यह घोषणा अधिनियम 1894 की धारा—6 और अधिनियम 18, 1885 की धारा—3 के खंड (1) के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिये जारी की जाती है जिसका इससे संबंध है।

भूमि का नक्शा भू-अर्जन पदाधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

[Signature]

समाहर्ता,
पूर्वी चम्पारण मोतिहारी

बिहार राज्यपाल के आदेश से

[Signature]

सरकार के अधिकारी
राजस्व एवं भूमि संशालन बोर्ड
बिहार, पटना।

— ३१२९

संचिका संख्या—१४ / डी०एल०ए०—(भारत—नेपाल सीमा पथ)—पू० चम्पारण—२१६ / २०१३—/ रा०, पटना, दिनांक—३१-१२-१३

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों में (सी०डी० सहित) दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक रथानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू—अर्जन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
2. प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट, समाहरणालय, पू० चम्पारण को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट की 10 प्रतियां जिला भू—अर्जन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
3. समाहर्ता/अपर समाहर्ता तथा जिला भू—अर्जन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
4. आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

३०१३।३
सरकार के अवर सविव।



(२)